बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विभिन्न मेडिकल कालेज अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ दिनांक 28.9.2013 को हुई बैठक की कार्यवाही –

बैठक में विभिन्न मेडिकल कालेज अस्पतालों में किए जा रहे कुछ अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। विचार–विमर्शोपरान्त निम्न अनुसार कार्य करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए :

1. सभी घोषित आवश्यक दवाएँ (OPD, IPD सहित) दिनांक 10 अक्टूबर तक उपलब्ध हो जाएँ, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग के नए संकल्प संख्या 12/प०–08–06/11–718(12), दिनांक 17.09.13 का उपयोग कर सकते हैं।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

2. आवश्यक दवाओं की सूची में यदि कोई संशोधन चाहते हों तो विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ विमर्श कर ऐसी नई दवाओं की सूची निदेशक प्रमुख को उपलब्ध करा दी जाए –(10 अक्टूबर तक)

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

3. 1 नवम्बर से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम के द्वारा दवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके लिए मार्च, 2014 तक की आवश्यकता का आकलन कर दो चरणों में आपूर्ति हेतु एम0डी0 को अनुरोध किया जाए। साथ ही दवा प्राप्ति के लिए उन्हें राशि भी उपलब्ध करा दी जाए। इस संबंध में प्रकियात्मक निर्देश विभाग द्वारा भेजा जाएगा।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक, MD, BMSICL एवं
संयुक्त सचिव, श्री संजय कुमार)

4. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उनका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

5. सभी अस्पतालों में नवम्बर माह से प्रारंभ कर प्रत्येक माह प्रत्येक clinical department के द्वारा नागरिकों के लिए एक–एक नई सुविधा प्रारम्भ की जाए। इसके लिए विचार–विमर्श कर लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए और तद्नुसार मार्च, 2014 तक का action plan बनाकर विभाग को भेज दिया जाए। इसे short term plan के रूप में लिया जाए (15 अक्टूबर तक)।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

6. सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों में न्यूनतम तीन super specilities अगले एक साल में सृजित किए जाने हैं। इसके लिए विचार–विमर्शोपरान्त योजना गठित कर लिया जाए और इसके

लिए उपकरण, भवन, manpower की क्या आवश्यकता होगी, इसका आकलन कर विभाग को अवगत कराया जाए – (30 अक्टूबर तक)।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

7. सभी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ICU के beds में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। इसके लिए विमर्शोपरान्त अगले छः महीने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए और तद्नुसार कार्रवाई प्रारम्भ की जाए। इस संबंध में जो भी मशीन, उपकरण की आवश्यकता होगी उसे प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम को अवगत करा दिया जाए ताकि उनके procurement की कार्रवाई प्रारम्भ हो सके। इसी योजना से विभाग को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक / प्रबंध निदेशक, BMSICL
/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वस्थ्य समिति)

8. अस्पतालों की साफ–सफाई की व्यवस्था अच्छी हो एवं परिसर patients/ attendants friendly हो इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाए :

i. patients/ attendants के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था हो।

ii. सातों दिन चादर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

iii. विभिन्न जगहों पर आवश्यक sign boards लगाए जाएँ।

iv. Doctors Room को आवश्यक उपस्करों से सुसज्जित किया जाए।

v. प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।

vi. गमले आदि का उपयोग किया जाए।

vii. चिकित्सक एवं पारा कर्मी Apron का प्रयोग करें।

viii. हर वार्ड में सफाई के लिए चेक लिस्ट प्रदर्शित किया जाए और उसे चेक करने के लिए कर्मियों को duty दी जाए जो सुबह–शाम चेक लिस्ट को tick करेंगे।

उपरोक्त indicators मात्र हैं, अधीक्षक स्वविवेक से उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक उपाय भी करेंगे।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

9. प्रत्येक तीन माह में उपरोक्त indicators के आधार पर वार्डों का चयन किया जाए, जहाँ सबसे बेहतर व्यवस्था हो एवं उसके प्रभारी को सम्मानित किया जाए।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक)

10. पूर्व में दिए गए स्वास्थ्य प्रबंधकों के अतिरिक्त यदि कुछ और की आवश्यकता हो तो कारण के साथ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को अवगत कराया जाए ताकि नए स्वास्थ्य प्रबंधकों के चयन के बारे में निदेश दिए जा सकें।

(अनुपालन – सभी अधीक्षक / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति)

ह0/–

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 284(H.S) / **पटना, दिनांक** 30.09.2013.

प्रतिलिपि – सभी अधीक्षक / प्राचार्य, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड / सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Deepak 30/9/13

सरकार के प्रधान सचिव